

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.  
दिनांक:- / / 20

क्रमांक:- भू.अ. / 20 /

प्रेषितः  
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री लक्ष्मण गवारिया पिता डुंकार जी गवारिया  
रोलाहडा प.ह. रोलाहडा के राजस्व ग्राम रोलाहडा में जमाबन्दी संवत् 2078-81  
की खाता संख्या 339 में जाति / नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति / नाम गवारिया किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति / नाम गवारिया को अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है / दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं।  
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- सीडर / 2025 / B66

दिनांक:- 17 / 10 / 20 25

निमित्त,

पटवार हल्का रोलाहडा

विषय:- सम्मानजनक जाति / नाम दर्ज करने काबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री लक्ष्मण गवारिया पिता डुंकार जी गवारिया  
राजस्व ग्राम रोलाहडा प.ह. रोलाहडा की खाता संख्या 339 में  
जाति / नाम गुंवार दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति के तौर पर रिपोर्ट  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री लक्ष्मण गवारिया पिता डुंकार जी गवारिया  
जाति / नाम गवारिया एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित  
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. रोलाहडा राजस्व रि.  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ